

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—मू0अ0-4 (मू0)-3054-01-45/2022

/पटना, दिनांक—13.06.2022

दिनांक—

प्रेषण,

संजय दूबे, भागलपुर
विशेष सचिव।

संबंध में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय—

वित्तीय वर्ष 2022-23 में गांव संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सड़क उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विषय कोड-37-3054-01-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार गांव संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सड़क उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है—

SL.No	Name of Division	Block	Name of Road	Length (in KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Ecotegret Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erkisarai	Lakhisarai	NH-30 Cut-off Dham to Subhag	4.190	250.408	49.558	25.041	325.007
2	Lakhisarai	Barhiya	Barhiya To Angara Ghat	2.600	78.892	22.731	7.889	109.512
3	Lakhisarai	Barhiya	RCD Road Kamepur More to RCD Road Nohapour more (T04 Kamepur	1.700	119.700	16.920	11.570	148.190
4	Sheikhpura	Ghat Karambha	Dhokamamba to Rajnoli	2.000	122.580	38.610	12.260	173.450
5	Bihmsharif	Sonnet	T06 to Bari Ghaziya	1.355	82.118	16.224	8.212	106.554
6	Mazrahi	Purpur	T01 SPM Road to Sanjivpur	1.300	85.000	16.015	8.507	109.522
7	Bhogaipur	Nailaigar	REO Road Bhogaipur To Bhogaipur	4.100	250.359	49.273	25.036	324.668
8	Banka-2	Katniya	R. Payal To Ramnoli	2.163	104.728	28.875	10.473	144.076
9	Darapur	Maler	Bhogaipur More to Darweshpur NH-30	3.240	180.510	35.210	18.951	234.671
10	Patna	Patna Sadar	NH-30 Dhar Ghat to Kothia	1.850	175.610	4.752	15.250	195.612
			Total	26.898				3871.730

- 2 संश्लिष्ट कार्यपालक अभियंता प्रोजेक्टों के कार्य सम्पादन हेतु निगरानी एवं जांच पदाधिकारी होना। नियंत्री एवं जांच पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होना कि कार्य का निष्पत्ति/निष्पत्ति के अनुसार कार्यपालक कार्यपालक एकरचना एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रयोजनों के पक्ष में उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निगरानी एवं जांच करेंगे।

6

13/6/2022

किरी प्रकाश की अनियमितता के लिए निवारण एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक) पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

3. बिहार ग्रामीण पथ अनुसंधान नीति-2018 के तहत MIRD आधारित ई-निविदा से कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक आदेश द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर गाननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के अनुमोदन संचिका संख्या- गु0अ0-4 (गु0)-3054-01-29/2022 में दिनांक 30.05.2022 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 03.06.2022 को संचिका संख्या-गु0अ0-4 (गु0)-3054-01-45/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से आदेशित स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक भूद की संपादन की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरूपता के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुसंधान कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कौषागर संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में दृष्ट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर बांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निगरानी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं गौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्य को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करना सुनिश्चित कराया

3/6/2022

जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी
माने जाएंगे।

वीकृत्यादेश पारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054 01-45/2022
के पृ0- 4/टि0 पर दिनांक-3.6.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
3/6/22
(संजय दूवे)
विशेष सचिव

संक्र- मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-45/2022 116 /पटना, दिनांक- 03.06.2022
तलपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/22
विशेष सचिव

संक्र- मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-45/2022 116 /पटना, दिनांक- 03.06.2022
तलपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास
भाग/वित्त विभाग (व-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य
भाग/संबंधित प्रमंडली आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त
अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य
भाग/मुख्य अभियंता-1 एवं 2, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं
आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6

3/6/22
विशेष सचिव

जल
कार्य
व्यय
व्यय
ग्रामीण
कार्य